न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक वाद सं०–236/2005
रजि नं०–600236/2005

CNR NO. UPLP01–000152–2005

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1–अनिल सिंह पुत्र चन्द्रभाल सिंह निवासी ग्राम बिल्लाई थाना नीमगांव जिला खीरी।
2–गुरूबक्श सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम बिल्लाई थाना नीमगांव, जिला खीरी।
––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–564/2004
धारा–3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–फरधान, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–564/2004, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह, नन्हके उर्फ रमेश सिंह व शिव कुमार सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र चन्द्र भाल सिंह, गुरूबक्श सिंह पुत्र शिवराज सिंह, नन्हके उर्फ राजेश सिंह पुत्र रामबक्श सिंह निवासी ग्राम विल्लाई थाना नीमगांव, रिंकू उर्फ प्रेम प्रकाश पुत्र वेदप्रकाश निवासी बेल्लामऊ थाना इमलिया सुल्तानपुर व शिव कुमार पुत्र राजा सिंह निवासी अनेदशर थाना लहरपुर सीतापुर, जो अपराधी प्रवृत्ति के है तथा गिरोह बनाकर अवैध भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु जघन्य अपराध शरीर सम्बन्धी एवं सम्पत्ति सम्बन्धी करते है तथा उपरोक्त अभियुक्तों ने गिरोह बनाकर 1986 के बाद किसी न किसी सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपराध किये है। जिनके कारण जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इनके भय व आतंक के कारण जनता के लोग इनके विरूद्ध गवाही देने को व अपराध धत्ति होने के बाद सूचना देने से कतराते है। इन अपराधियों के इन कृत्यों से जनता में अराजकता एवं भय की भावना व्याप्त है, इस कारण अभियुक्तगण अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह, रिंकू उर्फ प्रेम प्रकाश व शिव कुमार सिंह उपरोक्त के विरूद्ध धारा– 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 का प्रथम दृष्टया अपराध बनता है।"

3– वादी मुकदमा नागेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष फरधान द्वारा दी गयी जुबानी सूचना के आधार पर अभियुक्तगण अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह, नन्हके उर्फ रमेश सिंह व शिव कुमार सिंह के विरूद्ध दिनांक 24–06–2004 को समय 22:00 बजे, थाना–फरधान, जिला खीरी में मु०अ०सं०–564/2004, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम,

1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह, नन्हके उर्फ रमेश सिंह व शिव कुमार सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–564/2004, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्तगण अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह व नन्हके उर्फ रमेश सिंह के विरूद्ध दिनांक 14–11–2005 को धारा–3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियुक्त नन्हके उर्फ रमेश सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण आदेश दिनांकित 06–04–2022 के माध्यम से उसके विरूद्ध इस प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की गयी। इस प्रकार वर्तमान में मात्र अभियुक्तगण अनिल सिंह व गुरूबक्श सिंह का विचारण किया जा रहा है।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में देवीदयाल, पी०डब्लू०–2 के रूप में सरोज वर्मा व पी०डब्लू०–3 के रूप में उपनिरीक्षक शाहजहां खां को परीक्षित कराया गया।

8– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में गैंगचार्ट को प्रदर्श क–2 व प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में प्रस्तुत कर साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न है, परन्तु जिन्हें अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 04–07–2026 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक तथा साक्षी पी०डब्लू०–1 ता 3 के बयानों को गलत एवं साक्षी पी०डब्लू०–4 के बयानों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते हुए अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलाये जाने का कथन किया गया है। अतिरिक्त कथन में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

10– अभियुक्तगण पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया, परन्तु अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

12– अभियुक्तगण पर आरोप है कि वर्ष 2004 व उससे पूर्व विभिन्न समय व विभिन्न स्थान पर जनपद खीरी के अन्तर्गत अभियुक्तगण एक गिरोह बनाकर अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के लिये समाज विरोधी क्रिया कलाप आदि अपराध कारित करके जन मानस में भय एवं आतंक पैदा करके भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 व 22 के अधीन अपराध कारित करने के अभ्यस्त है।

13– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है।

अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये ।

14– अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाये ।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्तगण किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्तगण ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्तगण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

16– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्तगण ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्तगण किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्तगण को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

17– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी.दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्तगण को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977 , तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

19– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे0 आई 0 सी0 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

20– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त अनिल सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–302/04 धारा–392,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–174/04 धारा–394,302,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–257/04 धारा–394 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–466/03 धारा–392 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–408/03 धारा–302 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–89/04 धारा–392 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–80/04 धारा–392 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–163/04 धरा–392 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–542/04 धारा–307 भा०दं०सं० व अभियुक्त गुरूबक्श सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–302/04 धारा–392,411 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–257/04 धारा–394 भा०दं०सं०,मु०अ०सं०–89/04 धारा–392 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–80/04 धारा–392 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–163/04 धरा–392 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–542/04 धारा–307 भा०दं०सं० विभिन्न थाना व जनपद में पंजीकृत हैं।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–1 देवी दयाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 25–10–17 में कथन किया है कि, "दिनांक 28–05–05 को मैं लखीमपुर में विद्युत परिचालक के पद पर कार्रत था। ड्यूटी समाप्त कर अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहा था। समय लगभग ढाई बजे दिन के सहादत नगर से एक किलोमीटर पहले गन्ना सेन्टर के पास एक आदमी ने मुझे रोका मेरे रूकते ही झाड़ियों से दो आदमी और निकल आये और मेरे ऊपर तमंचा तान दिया तथा मेरी मोटरसाइकिल, पांच सौ तीस रूपये नकद व डी०एल० लूट लिये तथा मेरी ही मोटरसाइकिल पर तीनों बैठकर जहानी खेड़ा की तरफ भाग गये थे। बाद में पुलिस वालों ने मेरी मोटरसाइकिल बरामद की थी। जिसे मैंने अदालत से छुड़वाया था।"

22– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं आज तक नहीं जान पाया कि इसमें किसको थाना पुलिस ने अभियुक्त बनाया है। हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह व नन्हके उर्फ रमेश ने मेरे साथ कोई भी लूटपाट नहीं की थी और न ही मेरी गाड़ी रोकी थी। मैं आज इनको पहली बार देख रहा हूं। मैं थाना पिहानी में रिपोर्ट लिखाने गया था। जहां पुलिस वालों ने बोल कर लिखायी थी। यह कहना सही है कि अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह व नन्हके उर्फ रमेंश सिंह घटनास्थल सहादतनगर पर मुझको नहीं रोका था और न ही मेरे साथ लूटपाट की थी।"

23– साक्षी पी०डब्लू०–1 देवी दयाल के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, दिनांक 28–05–05 को मोटरसाइकिल से गांव जाते समय लगभग ढाई बजे दिन के सहादत नगर से एक किलोमीटर पहले गन्ना सेन्टर के पास एक आदमी ने उसे रोका तथा उसके रूकते ही झाड़ियों से दो आदमी और निकल आये और उसके ऊपर तमंचा तान दिया तथा उसकी मोटरसाइकिल, पांच सौ तीस रूपये नकद व डी०एल० लूट ले गये। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "हाजिर अदालत अभियुक्त अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह व नन्हके उर्फ रमेश ने मेरे साथ कोई भी लूटपाट नहीं की थी और न ही मेरी गाड़ी रोकी थी। मैं आज इनको पहली बार देख रहा हूं।" यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य के अनुसार कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ न तो कोई लूटपाट की गयी थी और न ही उसकी गोड़ी रोकी गयी थी। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को प्रथम बार अदालत में देखे जाने का कथन भी किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से कथित आधारभूत घटनाक्रम के सम्बन्ध में अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है और न ही अभियोजन को कोई सहायता मिलती है।

24– **साक्षी पी०डब्लू०–2 सरोज वर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 19–07–18 में कथन किया है कि, "दिनांक 28 मई सन् 2004 की घटना है। मैं घर से 1 लाख 13 हजार रूपये लेकर इलाहाबाद बैंक शाखा कालाआम में जमा करने अपनी मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस से दिन में जा रहा था। गुमचीनी के आगे कालाआम क्रेशर के पास पहुंचा, बिना नम्बर की दो मोटरसाइकिलों पर

चार बदमाश मुझे घेर लिये, तमंचा दिखाकर मुझे रोक लिया। एक के हाथ में तमंचा था, एक के हाथ में रिवाल्वर था, मेरी कमर में लगा दिया, मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, किन्तु जेब में रूपया दे–खकर बदमाशों ने मेरे एक लाख तेरह हजार रूपये छीन लिये और मोटरसाइकिल छोड़ दी। बदमाश लखीमपुर की ओर भाग गये। पुलिस वालों ने अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह रिंकू उर्फ प्रेम प्रकाश, शिव कुमार सिंह को पुलिस वालों ने पकड़ा था। मेरे बीस हजार रूपये बरामद किये थे। रिपोर्ट मैंने थाना कोतवाली सदर में लिखायी थी।"

25– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "दिनांक 19–07–18 से आगे मेरे साथ जो घटना घटी थी। उसका मुकदमा मैंने अज्ञात में लिखाया था। नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त में लिखाया गया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये अभियुक्तगण अनिल सिंह, गुरूबक्श सिंह, की शिना–ख्त थाना फरधान में करायी गयी थी। जिन्हें मैं घटना में शामिल होना नहीं पाया था, क्योंकि घटना के समय अभियुक्तगण हेलमेट लगाये थे। इसलिये मैं पहचान नहीं पाया था। जेल में शिनाख्त नहीं करायी गयी थी, थाने में करायी गयी थी। जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया था। मेरा बीस हजार रूपया बरामद किया गया था। किसके पास से पाया गया था, मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मैंने मुख्य परीक्षा गलत तथ्यों के दबाव में दी हो।"

26– साक्षी पी०डब्लू०–2 सरोज वर्मा के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, दिनांक 28 मई सन् 2004 को इलाहाबाद बैंक शाखा कालाआम में रूपये जमा करने जाते समय दो मोटरसाइकिलों पर चार बदमाश उसे घेर लिये तथा तमंचा दिखाकर बदमाशों ने उसके एक लाख तेरह हजार रूपये छीन लिये। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने अभियुक्तगण की संलिप्तता से इंकार करते हुए बयान दिया है कि, उसने मुकदमा अज्ञात में लिखाया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण अनिल सिंह, गुरू–बक्श सिंह की शिनाख्त थाना फरधान में करायी गयी थी, परन्तु वह घटना में शामिल होना नहीं पाया था, क्योंकि घटना के समय अभियुक्तगण हेलमेट लगाये थे, इसलिये वह पहचान नहीं पाया था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि, "मेरा बीस हजार रूपया बरामद किया गया था। कि–सके पास से पाया गया था, मुझे नहीं पता।" इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त साक्षी द्वारा कथित घटनाक्रम में अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके उसके पैसे किसके पास से पाया गया था, इस सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई विशिष्ट बयान नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश पड़ता हो।

27– **साक्षी पी०डब्लू०–3 उपनिरीक्षक शाहजहां खां** ने अपने मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 08–06–2026 में कथन किया है कि, "मेरी ड्यूटी शान्ति व्यवस्था में माघ मेरा संगम घाट, जनपद प्रयागराज में लगी थी। वहीं पर उत्तर प्रदेश के किसी जनपद किसी थाने से उपनिरीक्षक नागेन्द्र सिंह भी शान्ति व्यवस्था ड्यूटी करने माघ मेरा संगम घाट जनपद प्रयागराज में आये थे। हम दोनों कर्मचारियों की ड्यूटी समाप्त हो जाने के उपरान्त संगम घाट पर ही हम दोनों कर्मचारी एक ही टेन्ट में निवास करते थे तथा हम दोनों कर्मचारियों की चारपाई अगल–बगल थी। उपनिरीक्षक नागेन्द्र सिंह अपनी चारपाई पर ही लिखा–पढ़ी करते थे तथा उनसे बाच–चीत भी होती थी, जिनको हमने लिखते–पढ़ते देखा है, जिनका हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। शामिल पत्रावली में इस अभियोग के मूल गैंगचार्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट गवाह को दिखाया गया, तो गवाह ने देख कर कहा कि मूल गैंगचार्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट उपनिरीक्षक नागेन्द्र सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 डाला गया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि उपनिरीक्षक नागेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली है।"

28– प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं इस मुकदमें के तथ्यों के बारे में नहीं जानता हूं। यह अभियोग मेरे सामने न तो लिखा गया और न ही इसकी विवेचना मेरे सामने हुई।

उपनिरीक्षक नागेन्द्र सिंह मेरे साथ किसी भी थाने पर तैनात नहीं रहे। यह कहना गलत है कि पुलिस विभाग में कार्यरत होने के कारण द्वितीयक साक्ष्य मुकदमें में बल देने के लिये गलत दे रहा हूं।"

29– साक्षी पी०डब्लू०–3 उपनिरीक्षक शाहजहां खां एक औपचारिक साक्षी है, जिनके द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में गैंगचार्ट व प्रथम सूनचा रिपोर्ट को साबित किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि वह इस मुकदमें के तथ्यों के बारे में नहीं जानता है। यह अभियोग उसके सामने न तो लिखा गया और न ही इसकी विवेचना उसके सामने हुई। उपनिरीक्षक नागेन्द्र सिंह मेरे साथ किसी भी थाने पर तैनात नहीं रहे। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी मात्र औपचारिक रूप से अभियोजन प्रपत्र को साबित किया है, इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बयान नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो अथवा अभियुक्तगण द्वारा अनुचित रूप से कोई अवैध धन अर्जित किया गया हो, इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

30– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

31– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

32– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्तगण को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोष–सिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती (maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) **(Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।**

33– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

34– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। जब आधारभूत मुकदमें में अभियुक्तगण की संलिप्तता ही न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हुई, तब उसी घटना के आधार पर गैंग सदस्यता एवं संगठित अपराध का निष्कर्ष निकालना स्पष्टतया विधिसम्मत मानक के विपरीत होगा। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

35– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य

निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किये जाते है।

36– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धा–न्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण अनिल सिंह व गुरूबक्श सिंह पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

37– अभियुक्तगण अनिल सिंह व गिरूबक्श सिंह को दाण्डिक वाद सं०–236/2005, मु०अ०सं०–564/2004, थाना–फरधान, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

38– अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

39– अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 07 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 18–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 18–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.18 17:05:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court